यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

ल संख्या:– 2/2025 निर्णय दिनांक :– 21.03.2025

वानी **प्रार्थना पत्र** :

निकिता गुगलिया पुत्री नरेन्द्र कुमार गुगलिया जाति महाजन उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 **–प्रार्थीया–**

बनाम

तहसीलदार जी दूनी जिला टॉक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया

तहसीलदार **देवली**

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 555 खसरा नम्बर 1983/1289 रकबा 0.3584 है। वाके ग्रास सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज से स्थित है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नम्बर 1201 रकबा 0.7500 है0 गै0मु0 सड़क जो ग्राम दूनी से सरोली जाता है एवं सिवायचक आराजी भूमि खसरा नम्बर 1892/1286 रकबा 0.54 है0 बारानी प्रथम दर्ज है। प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 1201 से सिवायचक आराजी भूमि खसरा नम्बर 1892/1286 मे से होकर आती जाती रही है तथा बरसो से उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाती ले जाती है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिकमियो द्वारा उक्त कदीमी रास्ता बंद कर दिया जिससे प्रार्थीया अपनी भूमि को काश्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थीया को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 1201 से सिवायचक आराजी भूमि खसरा नम्बर 1892/1286 में से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन

21.3.25

…की प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 555 …सरा नम्बर 1983/1289 रकबा 0.3584 है0 वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 1201 से सिवायचक आराजी भूमि खसरा नम्बर 1892/1286 मे से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:- प्रार्थिया की आराजी पर पंहुचने के लिये राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थिया को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रार्थिया द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम दूरी का रास्ता नहीं है। हां प्रार्थिया द्वारा आवेदित रास्ता रिकार्डेड रास्ते दूनी सरोली रोड से जुड़ा हुआ है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की चौडाई 9.20 मीटर व लम्बाई 28 मीटर यानि 257.60 वर्गमीटर प्रस्तावित है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम सरोली की डीएलसी दर 54,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 2,78,208/- रू0 भुगतान योग्य है। आराजी ख0न0 1983/1286 आवेदक के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया आराजी ख0न0 1892/1286 वाके ग्राम सरोली से होकर रास्ता चाहती है. जिसे नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। जमाबन्दी की प्रति सलंग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ख0न0 1892/1286 किस्म बा. 1 दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार दूनी ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी 1983/1289 वाके ग्राम सरोली तह. दूनी में पहुंचने के लिए वैकल्पिक

21.3.25

कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 555 खसरा नम्बर 1983/1289 रकबा 0.3584 है0 वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 1201 से सिवायचक आराजी भूमि खसरा नम्बर 1892/1286 मे से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:— प्रार्थिया की आराजी पर पंहुचने के लिये राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थिया को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रार्थिया द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम दूरी का रास्ता नहीं है। हां प्रार्थिया द्वारा आवेदित रास्ता रिकार्डेड रास्ते दूनी सरोली रोड से जुड़ा हुआ है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की चौडाई 9.20 मीटर व लम्बाई 28 मीटर यानि 257.60 वर्गमीटर प्रस्तावित है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम सरोली की डीएलसी दर 54,00,000/— रूपये प्रति हैक्टेयर है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 2,78,208/— रू0 भुगतान योग्य है। आराजी ख0न0 1983/1286 आवेदक के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया आराजी ख0न0 1892/1286 वाके ग्राम सरोली से होकर रास्ता चाहती है. जिसे नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। जमाबन्दी की प्रति सलंग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ख0न0 1892/1286 किस्म बा. 1 दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार दूनी ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी 1983/1289 वाके ग्राम सरोली तह. दूनी में पहुंचने के लिए वैकल्पिक

21.3.25

उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 17.03.2025 में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली के ख. नं. 1983/1289 रकबा 0.35 है0 में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु ख. नं. 1892/1286 रकबा 0.54 है0 में से 9.20 मीटर चौड़ाई व 28 मीटर लम्बाई कुल क्षैत्रफल 257.60 वर्ग मीटर के लिए डी. एल. सी दर 54,00,000/– प्रति है0 के अनुसार क्षैत्रफल 257.60 वर्ग मीटर के लिए दुगनी प्रतिकर राशि 2,78,208/–रूपये जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर दुगनी प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता के रूप में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 21.03.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली